कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1230 /15–1 दिनांक, झांसी, अक्टूबर 23 2020

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

सेवा में,

श्री आशीष कुमार रावत,
सहायक परियोजना अभियन्ता,
अतिरिक्त निर्माण इकाई उ0प्र0 जल निगम, झांसी ।

विषयः– जनपद झांसी में झांसी–भगवन्तपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 किमी0 सं0 01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेज–1 के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–838/11C-FP/UP/Water/47013/2020, दिनांक 12.10.2020 ।

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में परीक्षणोपरान्त लगाई गई इंगित कमियों का निराकरण कर बिन्दुवार संशोधित प्रस्ताव 05 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है।

बिन्दु सं0 1 – प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

बिन्दु सं0 3 – प्रस्ताव में एन0पी0वी0 के गणना संलग्न है। भारत सरकार की एन0पी0वी0 की गाइडलाइन दिनांक 05.02.2009 के अनुसार 01 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने पर 4" Diameter तक की पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने की स्थिति में एन0पी0वी0 की छूट है। अतः यह स्पष्ट करें कि एंजेसी द्वारा कितनी Diameter की पाइप लाइन बिछायी जानी है। यदि एंजेसी द्वारा 4" Diameter तक की पेयजल पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है इस प्रकरण में इसे स्पष्ट कर 05 प्रतियों में उपलब्ध करायें ।

बिन्दु सं0 4 – प्रस्ताव में वन अधिकर अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में उपलब्ध करायें ।

बिन्दु सं0 7 – प्रस्ताव के साथ संलग्न सी0डी0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल हटाते हुए केवल प्रस्तावित वनभूमि के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 05 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्तानुसार इंगित कमियों का निराकरण करने के पश्चात संशोधित अभिलेख प्रस्तुत करें ताकि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायें ।

भवदीय
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

<u>पृष्ठांकन संख्या 1230 /अ/समदिनांक</u>

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक वुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

O/C

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी